हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

21/1/26

पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जाखोड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 51 रकबा 1.78 है0 आराजी स्थित है। जो कल्याण जी के नाम दर्ज थी, कल्याण जी के बाद उनके पुत्र भवानीशंकर, रामलाल, रामनारायण के नाम दर्ज की। भवानी शंकर जी का लगभग 6–7 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया बाद स्वर्गवास वादनी व अन्य वारिसान का नाम उक्त आराजी दर्ज की गयी। वादनी का बचपन का नाम द्रोपती रहा है। बाद में स्कूल में वादनी का नाम दीपिका रहा है। वादनी को दीपिका के नाम से जाना पहचाना जाता है वादनी के सभी दस्तावेजों में द्रोपती नहीं होकर दीपिका नाम वर्णित हो रहा है। वादनी के पिता भवानी शंकर जी के स्वर्गवास के समय प्रतिवादी द्वारा की गई जॉच में वादनी का नाम बोलता नाम द्रोपती लिखदिया गया जबकि वादनी के सभी सरकारी दस्तावेजों में दीपिका लिखा हुआ है इस कारण द्रोपती के स्थान पर दीपिका लिखा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वादनी का वाद डिक्री फरमाया जाकर दर्ज गांव राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि ग्रामवासियान के बताए अनुसार द्रौपती और दीपिका दोनो एक ही महिला है और द्रौपती का ही ससुराल जाने के बाद नाम दीपिका रख दिया गया।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा पैन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड एवं अन्य संलग्न दस्तावेज पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्रोपती पुत्री भवानीशंकर एवं दीपिका सेन पुत्री भवानी शंकर एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम जाखोड़ा पटवार हल्का जाखोड़ा में स्थित आराजी खाता संख्या नया 26 के खसरा नं0 51 की रकबा 1.78 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.78 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में द्रोपती पुत्री भवानीशंकर के स्थान पर द्रोपती उर्फ दीपिका सेन पुत्री भवानीशंकर दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 21/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा